टैक्स सुधार के नए युग की शुरुआत

देवेन्द्र सिंह मलिक

जीएसटी कानून की प्रतीक्षा सभी घरेलू और विदेशी निवेशक, साथ ही ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों को भी इस कानून से व्यापार करने की सुविधा और सुलभता का विकास होगा, और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लगाये जाने वाली टैरिफ में भी कटौती होगी। सरकार को विश्वास है कि इस से देश की रैंकिंग *व्यापार की सुगमता* वाले रिपोर्ट में सुधरेगी, जहां वर्तमान में 189 देशों में भारत का स्थान 130वां है। प्रधानमंत्री को आशा है कि भारत टॉप 50 देशों में आ खड़ा हो

वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल के आरम्भ से ही कालाधन की समस्या को नियंत्रित करने में प्रतिबद्धता दिखाई है। मई 2014 में सत्ता में आते ही सरकार का सबसे पहला फैसला एक स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम (एस.आई.टी.) बनाने के रूप में सामने आया। माननीय न्यायाधीश श्री एम.बी. शाह को इस एस.आई.टी. का अध्यक्ष और और पूर्व न्यायाधीश अरिजीत पसायत को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस एस.आई.टी. के गठन की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी पहली बैठक में माननीय उच्च न्यायालय के उस निर्णय को सम्मान से लागू करने के लिए की थी, जिसमें गैर-कानूनी तरीके से कर की चोरी करके विदेशो में बड़ी धन राशि जमा करने के खिलाफ करवाई करने को कहा गया था।

अपने गठन के उपरांत एस.आई.टी. ने विभिन्न रिपोर्ट सौंपी जिनमें कालाधन पर नियंत्रण और उसकी खोज करने के उपाय सुझाये गए थे। एसआईटी के बहुत से सुझाव, जैसे, कैश कारोबार करने पर पैन संख्या के उल्लेख की अनिवार्य शर्त, सरकार द्वारा माने जा चुके हैं।

घरेलू बाजार से कालाधन की धर-पकड़ करने के लिए सरकार ने एक और सफल कदम के रूप में इनकम डिक्लेरेशन योजना (आईडीएस-2016) को लागू किया है। यह योजना घरेलू कालाधन की समस्या के निवारण के लिए भारत सरकार की सबसे नयी पहल है। इसकी घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने 2016 के बजट भाषण में की। अत: सरकार ने इस योजना को पहली जून 2016 को औपचारिक रूप से शुरू कर दिया और इसे चार महीने बाद यानि 30 सितम्बर, 2016 तक जारी रखा गया। इस योजना ने ऐसे लोगों को अपनी छुपाई हुई घरेलू आय की घोषणा करने का एक मौका प्रदान किया जिन्होंने अतीत में कर का सही भुगतान नहीं किया था। यह घोषणा ऑनलाइन सहित या लिखित तरीके से 30 सितम्बर, 2016 की मध्यरात्रि तक की जा सकती थी।

आईडीएस 2016 के अंतर्गत 30 सितम्बर, 2016 की मध्यरात्रि तक 64,275 घोषणा-पत्र दाखिल किये गए, जिनमें इसके पहले छुपाये जा रहे 62,250 करोड़ रुपये नकदी और दूसरे रूपों में, सामने लाये गए। देश भर में जमा की लिखित रूप से की गयी घोषणाओं की गणना पूरी हो जाने के बाद यह राशि अधिक बढ़ने का अनुमान है। यह योजना कर विशेषज्ञों के अनुमान से अधिक सफल रही। आईडीएस 2016 के अंतर्गत घोषणाकर्ता को घोषित आय के ऊपर 45 प्रतिशत कर के साथ 15 प्रतिशत जुर्माना भरना था।

इसके पहले सरकार ने विदेशो में जमा कालाधन को खोज निकलने के लिए अघोषित विदेशी आय तथा परिसंपत्ति एवं कर अधिरोपण कानून, 2015, को लागू किया था। इस कानून में सम्पति की घोषणा कर उचित कर और जुर्माना भरने के लिए कहा गया था, जिसका एक बार में अनुपालन होना था। काला धन (अघोषित विदेशी आय तथा परिसंपत्ति) एवं कर अधिरोपण कानून, 1 जुलाई, 2015 से लागू हो गया।

कुल मिलकर काला धन (अघोषित विदेशी आय तथा परिसंपत्ति) एवं करारोपण कानून, 2015 के तहत 644 घोषणाएं की गयीं। इन 644

लेखक भारत सरकर के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन पत्र सूचना कार्यालय में अपर महानिदेशक (मीडिया एवं संचार) हैं तथा वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के लिए मीडिया एवं प्रचार के प्रभारी हैं। ईमेल: dprfinance@gmail.com

घोषणाओं में 4,164 करोड़ रुपये की वसूली हुई है। घोषणाकर्ताओं को 30 प्रतिशत के दर से कर भुगतान और साथ ही घोषित की गयी संपत्ति पर जुर्माने के तौर पर 30 प्रतिशत की राशि 31 दिसम्बर, 2015 तक जमा करवानी थी। इस तिथि तक कर और जुर्माने को जोड़कर 2,428.4 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। सरकार ने कालाधन को नियंत्रित करने के लिए कर चोरी को पीएमएल के तहत एक निर्दिष्ट अपराध बनाया है; फेमा में संशोधन करके विदेशी संपत्ति की जगह घरेलू संपत्ति को भी जब्त करने का प्रावधान किया है और कालाधन कानून के अलावा बेनामी कानून को भी पारित किया है।

उपरोक्त के अलावा, कर चोरी पर सूचनाओं के आदान-प्रदान करने लिए कई अंतराष्ट्रीय अनुबंधों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एफएटीसीए, मॉरीशस अनुबंध का संशोधन, बेस्ट इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग (बीईपीएस) व प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट (पीओईएस) आदि के तहत कट्री बाई कंट्री आधार पर स्विट्जरलैंड समेत सभी प्रमुख देशों के साथ स्वत: सूचना विनिमय संधियों पर हस्ताक्षर की पहल आदि शामिल हैं।

एचएसबीसी से जुड़े मामलों में 8000 करोड़ रुपये के अनुमान के अलावा 175 मामलों में 164 मुकदमे दर्ज किया गए हैं। आईसीआईजे से जुड़े मामलों के अंतर्गत अब तक छुपाये गए 5000 करोड़ का पता चला है, जिनमें 55 मुकदमे दर्ज किये गए हैं। पनामा मामले में बड़ी जांच के बाद दूसरे देशों से लगभग 250 मामलों में कर चोरी और बैंक खातों की जानकारी मांगी जा रही है। इस प्रकार की जांच में अप्रत्याशित तेजी आने के बाद 1986 करोड़ रुपये और 56,378 करोड़ रुपये की अघोषित राशि पिछले ढाई वर्षों में जब्त हुई है। सूचना प्रौद्योगिकी में हुए विकास के कारण कर चोरी रोकने की दिशा में अतिक्रमण रहित तरीके सामने आये हैं। इन्ही में एक, के माध्यम से 16,000 करोड़ रुपये कर के रूप में प्राप्त हुए हैं। पिछले ढाई वर्षों में 3626 मामले सामने आये हैं, जो उसके पिछले दो वर्षों से दुगने हैं।

प्रत्यक्ष करों के मामले में सरकार द्वारा उठाये गए कदमों में पूर्वप्रभावी कर के कानूनों में बदलाव, आयकर विभाग द्वारा अपील फाइल करने की सीमा में बढ़ोत्तरी, और कर कानूनों को सुलभ और पारदर्शी बनाया जाना हैं ताकि अधिक लोग कर प्रावधानों का अनुपालन कर सकें। इन सारे प्रयासों का मकसद कर आधार को बढ़ावा देना है ताकि इसमें अधिक से अधिक लोगों को शामिल किया जाये जिन्हें इस व्यवस्था के भीतर कर चुकाना चाहिए, और समय पर न चुकाए जाने पर उन्हें मुकदमेबाजी में उलझाया जाये। यह कदम सरकार के आय संग्रह में बढ़ोत्तरी के साथ ही कर दरों को सुलभ स्तर पर लेन में सहायक होगी। सरकार की कोशिश है कि कर सम्बन्धी अधिकतम सुविधाएं ऑनलाइन की जाये, ताकि मानवीय अन्त: क्रिया न्यूनतम रहे, यानि, न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन। इस कदम से भ्रष्टाचार में कमी के साथ ही, कर व्यवस्था और भी कारगर और पारदर्शी बनेगी। इसको ध्यान में रखते हुए, आयकर विभाग यह भी सुनिश्चित कर रही है कि कर भुगतान करने वाले को उत्पीड़न से बचाने के लिए अधिकतम संपर्क इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ही किया जाये। न केवल कॉर्पोरेट बल्कि व्यक्ति विशेष को भी एक सुलभ और न्याय संगत कर प्रक्रिया प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने भी *प्रगति* की कई बैठकों में कर अधिकारियों से कर सम्बन्धी समस्याओं का शीघ्र निवारण करने को कहा है।

कर कानूनों को सुलभ और पारदर्शी बनाया जाना हैं ताकि अधिक लोग कर प्रावधानों का अनुपालन कर सकें। इन सारे प्रयासों का मकसद कर बेस का बढ़ावा है ताकि इसमें अधिक से अधिक लोगों को शामिल किया जाये जिन्हें इस व्यवस्था के भीतर कर चुकाना चाहिए, और समय पर न चुकाए जाने पर उन्हें मुकदमेबाजी में उलझाया जाये।

इसी प्रकार, कंपनियों के साथ पहले से विवादित कर मसलों को सुलझाने के लिए केन्द्रीय बजट 2016-2017 ने कर विवादों के एक बार में निष्पादन करने को योजना बनायी है। वर्तमान कानूनों को जान बूझ कर विलंब करने वाला बताकर और एक सुलभ कर व्यवस्था के विपरीत मानकर, बजट में वित्त मंत्री ने *विवाद समाधान योजना* (डीआरएस) की घोषणा की है।

वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि "कोई कर दाता जिसका मामला आज तक कमिश्नर (अपील्स) के पास लंबित पड़ा हुआ है, अपने मामले का निबटारा निर्धारण तिथि तक के विवादित कर और सुध की भरपाई करके करवा सकता है।" इस योजना में, जो अभी चल रही है, दस लाख रुपये तक के विवादित कर पर किसी प्रकार का जुर्माना नहीं लगेगा। दस लाख से अधिक के विवादित कर मामलों में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, 25 प्रतिशत जुर्माना लगाने का प्रावधान है। लगाये हुए जुर्माने से सम्बंधित किसी फैसला पर लंबित करवाई को निबटारा लगे हुए जुर्माने का न्यूनतम 25 प्रतिशत चुकाकर किया जा सकता है।

घरेलू और विदेशी निवेशक भी सरकार के इन प्रयासों में जहां कर व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और नीतियों में परिवर्तन पर संवाद से मामलों को सुलझाने की प्रक्रिया से लाभान्वित हो रहे हैं। इस सन्दर्भ में मॉरीशस के साथ कर व्यवस्था में रही गड़बड़ी में किये जा रहे सुधार उल्लेखनीय हैं। भारत और मॉरीशस ने इस साल मई में *दोहरा कराधान परिहार संधि* समझौते को संशोधित किया है, जिसके कारण भारत अब 1 अप्रैल, 2017 के बाद से एक भारतीय कंपनी के शेयरों की बिक्री से *कैपिटल गेन्स* कर लगा पायेगा। इस उदघोषणा के ठीक बाद वित्त मंत्रालय ने फौरन विदेशी संस्थागत निवेशकों और घरेलू कंपनियों से मिलकर उनकी दुविधाएं दूर कर दी।

इसके उपरांत और भी दूसरे देशों, जैसे सिंगापुर के साथ ऐसे कर समस्याओं की निवारण के लिए प्रतिबद्धता प्रकट की गयी है। और अगले साल अप्रैल तक का समय निवेशकों को सुलभता से नए कर परिस्थितियों में ढलने का अवसर प्रदान करेगा। कर सुधारों का एक और क्षेत्र कॉरपोरेट कर है। भारतीय कंपनियां भी यूनियन बजट 2017-2018 की ओर देख रही है, जब वित्त मंत्री कॉर्पोरेट करों को और कम करने का मानचित्र प्रस्तुत करेंगे।

2015-16 के बजट में वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कॉर्पोरेट करों को वर्तमान के

30 प्रतिशत से घटाकर चार वर्षों की अवधि में 25 प्रतिशत करने की बात कहीं है। यह परिवर्तन दरों के मामले में अन्य एशियाई देशों जैसा होगा, जिससे एक निवेश गंतव्य के रूप में भारत की क्षमता बढ़ेगी। यह कदम कंपनियों को मिलने वाले प्रोत्साहन सहायता को हटाने के बाद दी जाएगी।

यह वर्तमान सरकार की कड़ी मेहनत का फल है जिसमें हर राजनीतिक पार्टी के साथ संवाद करके संसद के मानसून सत्र में, अगस्त के पहले सप्ताह में 122वां संविधान संशोधन बिल पास करवाया गया। यह संशोधन बिल संसद में पिछले 10 वर्षों से किन्हीं न किन्हीं कारणों से लंबित था।

जहां तक अप्रत्यक्ष करों में कर सुधार का मसला है, ऐतिहासिक जीएसटी का आना एक चुनौती है जिसे अब अमल में लाने की प्रक्रिया शुरू की गयी है। सरकार ने इस कानून को 1 अप्रैल, 2017 से लागू करने का निश्चय किया है। 2015-16 के आर्थिक सर्वेक्षण ने जीएसटी को एक सुधार प्रक्रिया के रूप में आधुनिक वैश्विक कर इतिहास में अतुलनीय बताया है। वस्तुतः यह वर्तमान सरकार की कड़ी मेहनत का फल है जिसमें हर राजनीतिक पार्टी के साथ संवाद करके संसद के मानसून सत्र में, अगस्त के पहले सप्ताह में 122वां संविधान संशोधन बिल पास करवाया गया। यह संशोधन बिल संसद में पिछले 10 वर्षों से किन्हीं न किन्हीं कारणों से लंबित था।

जीएसटी जिसे इतिहास में अभी तक का सबसे महत्वाकांशी और महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर सुधार माना जा रहा है, न ही केंद्रीय स्तर के सभी कर जैसे, केंद्रीय एक्साइज डयूटी, सेवा कर, इत्यादि को एक साथ सम्मिलित करेगा, बल्कि वहीं राज्यों के स्तर पर वैल्यू एडेड कर, ऑक्ट्रॉय, प्रवेश कर और मनोरंजन कर, आदि को भी। ये पिछले 13 वर्षों से केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों के कारण आज यहां पहुंचा है। केन्द्रीय वित्त मंत्री जो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष हैं, जिसमें सदस्यों के तौर पर विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हैं, ने 22 नवंबर, 2016 की तिथि कर निर्धारण प्रविधियां बनाने के लिए निश्चित की है, इसमें मॉडल विधेयक और कर दर का भी निर्णय समिलित है।

22, 23, और 30 सितंबर की अपनी पिछली बैठकों में जीएसटी काउंसिल ने विभिन्न कारोबारों जिन पर जीएसटी लगाया जायेगा उनके संबंध में सीमा का निर्धारण कर लिया है, ड्राफ्ट कारोबार नियम, क्षेत्र-सम्बन्धी छूट, तथा लघु व्यापार पर नियंत्रण जैसे नियामक भी तय कर लिए गए हैं। उत्तर-पूर्व के राज्यों में 10 लाख टर्नओवर वाले, और अन्य राज्यों में 20 लाख टर्नओवर वाले बिजनस को कर से बाहर रखा जायेगा। प्रशासनिक नियंत्रण के मामले में, 1.5 करोड़ टर्नओवर वाले उत्पादक व्यापार पर राज्य का अकेला नियंत्रण होगा। उससे ऊपर के व्यापार पर दोनों, या केवल राज्य या केंद्र के नियंत्रण का मिला जुला रूप होगा जिसका निर्धारण रिस्क मूल्यांकन के बाद किया जायेगा।

हालांकि कुछ विश्लेषकों ने अप्रैल माह तक जीएसटी को लागू कर पाने की सम्भावना पर चिंता प्रकट की है। इसमें से एक चिंता यह है की कुछ वस्तु जैसे, पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पाद, या बिजली, जो कर रहित होते हैं उन्हें कर के भीतर नहीं लाया जायेगा। राज्य और केंद्र उन पर कर लगाते रहेंगे।

एक व्यवहार मूलक कदम केंद्र और राज्यों के मध्य इस मुद्दे पर भी आसानी से आमू सहमति बना सकता है, और समय पर जीएसटी को लागू किया जा सकता है। इन चिंताओं से परे, केंद्र को यह आशा है कि केंद्रीय जीएसटी, राजकीय जीएसटी, और सम्मिलित जीएसटी के मॉडल बिल अगले माह तक, यानि, नवंबर, 2016 तक संसद में, और राज्यों की विधान परिषदों में दिसम्बर, 2016 तक पास कर लिया जायेगा।

साथ ही जीएसटी के लिए आई.टी. की आधारभूत संरचना- जीएसटी नेटवर्क जो सभी राज्यों, केंद्र और कर दाताओं, के लिए एक सामान्य व्यवस्था लागू करेगी, लगभग पूरी हो चुकी है। इसकी टेस्टिंग अगले वर्ष जनवरी और फरवरी में की जाएगी।

जीएसटी कानून की प्रतीक्षा सभी घरेलू और विदेशी निवेशक, साथी ही ग्लोबल रेटिंग एजेंसिया भी कर रही हैं। इस कानून से व्यापार करने की सुविधा और सुलभता का विकास होगा, और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लगाये जाने वाली टैरिफ में भी कटौती होगी। सरकार को विश्वास है कि इस से देश की रैंकिंग *व्यापार की सुगमता* वाले रिपोर्ट में सुधरेगी, जहां वर्तमान में 189 देशों में भारत का स्थान 130वां है। प्रधानमंत्री को आशा है कि भारत टॉप 50 देशों में आ खड़ा हो।

अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी हालिया वर्ल्ड इकनोमिक आउटलुक में यह कहा है कि जीएसटी का उदय भारत में औसत विकास की सम्भावना को बल देगा। उल्लेखित करते हुए कि व्यापार और निवेश के लिए यह सकारात्मक है, आईएमएफ रिपोर्ट ने कहा है कि "यह कर सुधर और सही तरीके के उपलब्ध न होने वाली सब्सिडी का उन्मूलन रेवेनुए और फिसल संरचना के विकास के लिए आवश्यक है, ताकि आधारभूत संरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश किया जा सके।"

केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने हाल ही में अक्टूबर, 2016 के अपनी वाशिंगटन

लांकि कुछ विश्लेषकों ने अप्रैल माह तक जीएसटी को लागू कर पाने की सम्भावना पर चिंता प्रकट की है। इसमें से एक चिंता यह है की कुछ वस्तु जैसे, पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पाद, या बिजली, जो कर रहित होते हैं उन्हें कर के भीतर नहीं लाया जायेगा। राज्य और केंद्र उन पर कर लगाते रहेंगे।

यात्रा में कहा कि जीएसटी जैसे संरचनात्मक सुधार भारत के विकास में सहायक बनेंगे। आईएमएफ और विश्व बैंक ने भारत के विकास दर को अगले दो वर्षों में 7.6 प्रतिशत पर रखा है।

विभिन्न अनुमानों के अनुसार जीएसटी लीकेज और कर चोरी के सभी रस्ते बंद करके राज्य की आय बढ़ाने में सहायक होगी। और इससे देश का सकल घरेलू उत्पाद कम से कम 2 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।

अतः प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में ये सभी सुधार एक लम्बे समय तक भारत को सबसे तेज गति में आर्थिक विकास में सहायता करेंगी, और एक सुलभ कर व्यवस्था बनाने में कारगर साबित होंगी। ❑